२९/१०/२१

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।
हस्तगत प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित
मूल वाद निर्णीत हो जाने से हस्तगत
प्रार्थनापत्र मे अब कोई कार्यवाही शेष
नही रहती है अतः प्रकरण मे कार्यवाही
इसी स्तर पर समाप्त की जाकर
प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।
निर्णय सुनाया गया। प्रकरण
फैसल शुमार होकर नियम से जमा हो।